तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** उपस्थितः– श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से। --- **आदेश** **दिनांकः –2019** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू द्वारा प्रकरण संख्या 07/2001 में पारित आदेश दिनांक 30–01–2002 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.ओ.) झुंझुनू के समक्ष तहसीलदार, झुंझूनू ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि खसरा नबर 813/1 तथा 813/2 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा में से 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का उपयोग गैर कृषि प्रयोजनार्थ लिया जा रहा है। अतः खातेदार के विरूद्ध धारा 90–बी की कार्यवाही की जाकर उक्त भूमि राज्य सरकार के हक में पुनग्रहित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस तामील किये तथा अन्ततः दिनांक 30–01–2002 के आदेश द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के हक में पुनर्गहित किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित आदेश नोन–रीजण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की प्रोपर तामील नहीं कर उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है।	

८ तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। विवादित भूमि पर कब्जा नगरपालिका का है। 6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायलय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), झुंझुनू द्वारा जारी आदेश दिनाक 30–01–2002 जारी होने से पूर्व, प्रश्नगत खसरा नंबरान के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी के अन्तर्गत कार्यवाही का नोटिस दिनांक 22–12–2000 को जारी कर प्रकाशित किया था। इसके पूर्व व्यक्शितः नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जारी किये गये थे और उन पर प्रोपर तामील नहीं हुई थी। पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ओमप्रकाश के पिता गंगासागर पर व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया गया था ओर दिनांक 22–12–2000 को जारी सार्वजनिक नोटिस में भी इनका नाम का उल्लेख नहीं है। दिनांक 30–03–2001 को जारी सार्वजनिक नोटिस में भी प्रार्थी के पिता का नाम नहीं है बल्कि सहवन से उनका नाम गंगाधर नोटिस पर दर्ज किया गया है जबकि जमाबंदी संवत 2045–48 के अनुसार विवादित भूमि में गंगासागर पुत्र गोपीराम रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा बतौर खातेदार अंकित है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी/निगराकार पर कानूनी तौर पर पर्याप्त तामील नहीं हुई है इसलिए निगरानी में उठाये गये तथ्य सारपूर्ण हैं। 7– परिणामतः निगरानी आंशिक रूप से इस अमर से स्वीकार की जाती है कि विवादित खसरा नंबरान 813/01 तथा 813/02 दोनों खसरा नंबरों के प्रभावित रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में प्रार्थी निगराकार के 1/3 हिस्से की सीमा तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–01–2002 अपास्त किया जाकर शेष 2/3 हिस्से बाबत् अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है। प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र गंगासागर को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–12–2000 तथा 30–03–2001 के संबंध मे	

८ तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही उज्र पेश करें। प्रकरण इस निर्देश के साथ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), झुंझुनू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा उठाये गये उज्र पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा विवादित भूमि की सीमा तक विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	